

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ 5(3)आप्र.एवं सहा./ चारा डिपो/2019/ १५४६-६९

जयपुर,दिनांक १३-२-१९

जिला कलेक्टर, (सहायता)  
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़,  
पाली, चूरू एवं नागौर।

विषय:-अभाव सम्बत 2075 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर  
चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ.1(4)आप्र.एवं सहा./सामान्य/2018/ 18875-94 दिनांक 19.11.18 द्वारा आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 18.5.2019 तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 दिनांक 8.4.15 को जारी राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) के मानदण्डों के अनुसार पशु शिविर से बाहर के पशुओं के लिए चारा परिवहन अनुदान अभाव सम्बत 2075 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभाग द्वारा अनुमोदित चारा डिपो की स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. चारा डिपो स्वीकृति आदेश स्वीकृत किये जाने की दिनांक से अभाव अवधि तक प्रभावी होगा।
2. यह परिलाभ केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिया जायेगा।
3. पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा उससे संगत (Consistent) होने चाहिए।
4. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने के पश्चात् अभाव अवधि तक एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार चारा डिपो खोले जाने के पश्चात् ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुर्घ उत्पादक सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की ऑनलाइन स्वीकृति जारी करेंगे। ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
5. इस प्रक्रिया के तहत चारा डिपो खोले जाने वाली एजेन्सी यथा ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति द्वारा चारा डिपो खोले जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए [www.sso.rajasthan.in](http://www.sso.rajasthan.in) पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन 'dmrd' के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय एप्लीकेशन पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ किया जावेगा। चारा डिपो हेतु आवेदन करते समय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुर्घ उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन प्रमाणपत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है।
6. चारा डिपो खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर चारा डिपो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे।
7. जिला कलेक्टरों द्वारा चारा डिपो स्वीकृति से पूर्व सर्वे टीम भेजी जाकर चारे की उपलब्धता के स्थानों एवं क्य दरों का आंकलन किया जायेगा तथा चारे की मांग के अनुसार जिला कलेक्टर राज्य में से और राज्य के बाहर से चारे की अपूर्ति और चारा परिवहन के लिए टेण्डर मांग सकता है।
8. चारा डिपो पर केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनके द्वारा संधारित पशुओं के अनुपात में चारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. चारा डिपो संचालित करने वाली संस्था को चारा परिवहन अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित किए जाने वाले चारे पर ही उपलब्ध होंगा।
10. 50 कि.मी.से अधिक की दूरी से किये गये चारा परिवहन पर ही अनुदान देय होगा।
11. परिवहन कर लाये गये चारे का वास्तविक किराया और निर्धारित दरों में से जो भी कम हो, उस राशि का ही चारा परिवहन अनुदान देय होगा।
12. अभावग्रस्त जिलों में से चारा आयात नहीं किया जावेगा।

13. चारा डिपो पर बेचे जाने वाले चारे की दर का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा करवाया जावेगा।
14. जिला कलक्टर द्वारा चारा परिवहन समिक्षा हेतु विस्तृत आंकलन कर इन दिशानिर्देशों के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर चारा परिवहन की दरों का निर्धारण के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए जावेंगे।
15. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा पशुओं को पशुशिविर में छोड़ दिया गया है उन्हें चारा अनुदान देय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:-

**1. चारा डिपो संचालक संस्थाएँ-**

जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपों संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

**2. चारे का क्य-**

संस्था द्वारा डिपो पर चारा, राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पड़ोसी राज्यों से क्य कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जाए।

**3. चारा परिवहन अनुदान की दरे-**

इस विभाग द्वारा जिला कलक्टर से प्राप्त दरों के बाद निर्धारित दर अथवा परिवहन की वास्तविक लागत तक जो भी कम हो के अनुसार लागू होगी। तदनुसार ही डिपो पर लाये जाने वाले चारे पर परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए।

**4. चारा विक्रय दर का निर्धारण-**

जिला कलेक्टर द्वारा गठित सरपंच, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की समिति क्य मूल्य के दस्तावेज देखकर परिवहन अनुदान की राशि घटाकर एवं 10 (दस) रूपये प्रति विव. Handling Charges जोड़कर चारे की दर का निर्धारण करेंगी।

**5. चारा वितरण में छीजत-**

चारा विक्रय मूल्य के अतिरिक्त किसी प्रकार की चारे की छीजत, तुलाई अथवा आनुषंगिक व्यय देय नहीं है।

**6. व्याज मुक्त ऋण-**

जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ ही 1,00,000/- रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूँजी) के रूप में व्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

**7. चारा डिपो का स्वीकृति/सत्यापन-**

- (i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम नहीं हो।
- (ii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।
- (iii) क्रय किये गये चारे के सम्बन्ध में धर्मकांठा तोल की रसीदों का प्रमाणीकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य में लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयार करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

### 8. चारा डिपो का निरीक्षण:-

- (अ) जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय—समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहे तथा क्षेत्र में चारे की वर्तमान एवं रबी की आवक के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- (ब) चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रतिमाह निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले चारा डिपो	कार्यक्षेत्र
1	तहसीलदार / विकास अधिकारी	25%	तहसील / पं.समिति
2	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3	अति.जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति:मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समिलित रूप से)	6%	जिला
4	जिला कलेक्टर	यथासम्बव अधिकाधिक	जिला

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।



प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
7. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. तकनीकि निदेशक, आरआईएससल, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।

